

Check List

औषधि निरीक्षक (ग्रेड-2) परीक्षा-2023

अनुक्रमांक –

आवेदित पद–

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ)	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका,	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
09	स्नातक-* 1-भेषज विज्ञान (Pharmacy) अथवा 2-भेषज निर्माण विज्ञान (Pharmaceutical Sciences) अथवा 3-नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्मजैविकी में विशेषज्ञता सहित चिकित्सा विज्ञान (Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology) की अंकतालिका एवं उपाधि।	
10	अधिमानी अर्हता- (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष सेवा की हो। (ख) एन0सी0सी0 बी अथवा सी प्रमाण पत्र।	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) (यदि लागू हो)	

13	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
14	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।	
15	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या- A-4/DR/DI/S-3/2023-24 दिनांक 16 सितम्बर, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद से न्यून वेतनमान में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
16	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
17	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण-पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
18	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र एवं देशना प्रपत्र में चस्पा करने के अतिरिक्त)	
19	विज्ञापन के बिन्दु सं०-06 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख	
	1. Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents' regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents' regular employees of the State Government/Semi Government organization serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents' regular employees of the Central Government organization/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	

	5.(ii) Is your spouse or your parents' permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	
20	अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तियों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या अंतिम तिथि 06 अक्टूबर, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310, दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो।

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए अर्थात् 01.04.2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट- अभ्यर्थी उक्तानुसार समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम